संपादकीय

जब भी कहीं शिक्षा की बात चलती है तो न जाने कितने पहलू और कितनी ही कड़ियाँ हमारे सामने आ जाती हैं जो आपस में इस प्रकार जुड़ी महसूस होती हैं कि एक को नकार कर दूसरे पर विमर्श तक करना मुश्किल प्रतीत होता है। कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं पर सुधार की बात होती है तो आकलन का प्रश्न ज्वलंत हो जाता है। शिक्षण की भाषा क्या हो?- इस पर भी चर्चा होने लगती है। यही नहीं इन सब परिवर्तनों का नेतृत्व करने वाले शिक्षक की भूमिका संबंधी हमारी अपेक्षाओं को भी पंख लग जाते हैं। विविध शोध अध्ययनों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। शिक्षा एक पहेली की तरह काम करती है जिसके एक पहलू पर परिवर्तन दूसरे पहलू में तो बदलाव चाहता है और फिर दूसरे पहलू में परिवर्तन न केवल पहले को एक अलग ढंग से प्रभावित करता है बल्कि अन्य पहलुओं पर भी प्रभाव डालता है और जटिल प्रक्रिया के रूप में यह शिक्षा व्यवस्था कार्य करती है। शायद यही कारण है कि हमारे लेखक हर बार हमें विविध शैक्षिक विषयों पर लेख भेजते हैं और हमारी यह शैक्षिक पत्रिका एक मंच बन जाती है — हर बार विविधता लिए नये विमर्श का। इस बार की इस पत्रिका में शामिल हैं विविध विषयों पर लेख जो हमारे पाठकों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे वांछित बदलावों से परिचित कराएंगे। पाठकों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में,

अकादमिक समिति

बाल अधिकार घोषणा पत्र

अठारह साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। बच्चे की देख-रेख और पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर माँ-बाप के ऊपर होती है। राज्य प्रत्येक बच्चे के अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति

* मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का हक है। *(अनुच्छेद 42)*
* बच्चा होने के नाते मुझे अधिकार मिले हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता/रहती हूँ, मेरे माँ-बाप क्या करते हैं, मेरी भाषा क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं लड़का हूँ या लड़की, मेरी संस्कृति कौन-सी है, मैं विकलांग हूँ या नहीं, मैं गरीब हूँ या अमीर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी आधार पर मेरे इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, सभी को यह बात जाननी चाहिए। *(अनुच्छेद 2)*

* मुझे अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। सभी की यह ज़िम्मेदारी है कि वे दूसरों की बात सुनें। *(अनुच्छेद 12, 13)*
* मुझे गलती करने का अधिकार है और सभी को मानना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। *(अनुच्छेद 28)*
* मुझे सभी कार्रवाईयों में शामिल होने का अधिकार है, चाहे मेरी क्षमताएँ भिन्न हैं। सभी को दूसरों की भिन्न क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। *(अनुच्छेद 23)*

विकास

* मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और यह हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। *(अनुच्छेद 23, 28, 29)*
* मुझे अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा का अधिकार है और यह प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों को भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और पीने का साफ़ पानी मुहैया कराने में मदद करे। *(अनुच्छेद 24)*
* मुझे भरपेट खाने का अधिकार है और हर व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह किसी को भी भूखा न मरने दे। *(अनुच्छेद 24)*

* मुझे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है और हर व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इसे प्रदूषित न करे। *(अनुच्छेद 29)*
* मुझे खेलने और आराम करने का अधिकार है। *(अनुच्छेद 31)*

देखभाल और सुरक्षा

* मेरा अधिकार है कि मुझे प्यार मिले और किसी भी तरह के दुराचार व नुकसान से मुझे बचाया जाए। हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों की देखभाल करे व उनके साथ स्नेह भाव से रहे। *(अनुच्छेद 19)*

* मुझे सुरक्षित परिवार तथा आरामदेह घर का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात का खयाल रखे कि सभी बच्चों को परिवार और घर मिले। *(अनुच्छेद 9, 27)*
* मुझे अपनी विरासत और मान्यताओं पर गर्व करने का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह औरों की संस्कृति व मान्यताओं का सम्मान करे। *(अनुच्छेद 29, 30)*
* मुझे हिंसा (मौखिक, शारीरिक, भावात्मक) के बिना जीवन जीने का अधिकार है। हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वह किसी के साथ अत्याचार न करे। *(अनुच्छेद 28, 37)*

* मुझे आर्थिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर एक की यह ज़िम्मेदारी है कि वह किसी भी बच्चे को काम पर न रखे और बच्चों को एक आज़ाद और सुरक्षित माहौल मुहैया कराए। *(अनुच्छेद 32, 34)*
* मुझे किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात का खयाल रखे कि कोई किसी भी तरह से मुझे इस्तेमाल न करे और मेरा फ़ायदा न उठाए। *(अनुच्छेद 36)*

बच्चों से संबंधित सभी कार्रवाईयों में बच्चों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी

ये सारे अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कनवेंशन, 1989 में उल्लेखित हैं। इस कनवेंशन में उन सारे अधिकारों को शामिल किया गया है जो दुनिया भर के बच्चों को मिले हुए हैं। भारत सरकार ने इस दस्तावेज़ पर 1992 में दस्तखत किए थे।

स्रोत – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.), भारत सरकार